

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायवरेली
कार्मिक शाखा

सं. E-1/RCI/RBL/Med./Prom./H&MI-01

दिनांक : 01.01.2022

कार्यालय आदेश संख्या:-01/2022

विषय:- आरेडिका, रायवरेली, में चिकित्सा विभाग में 100% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक, ग्रेड-1 (वेतन लेवल 07) के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक: 01.01.2022

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायवरेली के चिकित्सा विभाग में 100% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक, ग्रेड-1 (वेतन लेवल 07) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्तता सूची जारी की गई है।

अतः आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायवरेली के चिकित्सा विभाग में 100% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक, ग्रेड-1 (वेतन लेवल 06) के पद पर कार्यरत निम्नवत कर्मचारी को स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक, ग्रेड-1 (वेतन लेवल 07) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

S. N.	Emp. No.	Name of Employee (S/Sri)	Cat.	Deptt.	Design. & Pay Level	Promoted As in Level-07
1	52029800066	SATISH KUMAR	UR	MED.	H&MI, Gr.-II/Level-6	H&MI, Gr.-I/Level-7


यदि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध डी.एण्ड.ए.आर. एवं विजिलेन्स से संबंधित कोई कार्यवाही लंबित हो या प्रक्षेपित हो जिसके लंबित या प्रक्षेपित होने पर कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, तो उक्त संबंध में इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।

“This panel/promotion is provisional and subject to the outcome of the main SLPs and contempt petition (C) No. 314/2016 in SLP(C) No. 4831/2012- Samta Andolan Samiti through its President vs Sanjay Kothari & Ors and any other cases pending in any court of law on the subject panel/promotion.”

यदि उपरोक्त कर्मचारी को पहले से ही संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त हो चुका है तो इन्हें उपरोक्त पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण का लाभ दोबारा प्रदान नहीं किया जायेगा।

संबंधित कर्मचारी अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट एवं पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प (एक माह के अंदर) अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भेजें।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।


01.01.22
सहायक कार्मिक अधिकारी/स्टाफ
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव महाप्रबंधक/आरेडिका/रायवरेली।
2. प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी /आरेडिका/रायवरेली।
3. PS to PCPO :- आरेडिका/रायवरेली की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।
4. संबंधित कल्याण निरीक्षक/आरेडिका/रायवरेली।
5. प्रभारी/वेतन/आरेडिका/रायवरेली।
6. संबंधित कर्मचारी।
7. सभी सूचना पट्ट।